<u>हाइड्रोकार्बन खोज के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के अंतर्गत विकास और उत्पादन चरण में छूट, विस्तार और स्पष्टीकरण के लिए नीतिगत ढांचा</u>

सं.22013/27/2012-ओएनजी डीवी. - भारत सरकार एतद्द्वारा "हाइड्रोकार्बन खोज के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के अंतर्गत विकास और उत्पादन चरण में छूट, विस्तार और स्पष्टीकरण के लिए नीतिगत ढांचा" को अधिसूचित करता है:

1. हाइड्रोकार्बन की खोज के संबंध में वाणिज्यिकता (डीओसी) की घोषणा करने के लिए समय अवधि का विस्तार:

1.1 खोज के लिए मूल्यांकन अवधि संभावित वाणिज्यिक हित (पीसीआई) की अधिसूचना से शुरू होती है और व्यापारिक घोषणा (डीओसी) पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ समाप्त हो जाती है। मूल्यांकन अवधि 18 महीने से लेकर 60 महीनों तक भिन्न-भिन्न होती है। हाइड्रोकार्बन महानिदेशक (डीजीएच) को प्रबंधन समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित निर्णय लेने का अधिकार है:

क) इस तरह के विस्तार के लिए ठेकेदार द्वारा दिए गए औचित्य के बारे में, तटीय ब्लॉकों के लिए 6 माह और अपतटीय ब्लॉकों के लिए 12 माह तक मूल्यांकित अवधि का विस्तार करना, जहां-कहीं एमसी दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट हो। तदनुसार, क्षेत्रीय विकास योजना (एफडीपी) प्रस्तुत करने की तारीख भी बढ़ जाएगी।

ख) आवेदन के समय अनुबंध के क्षेत्र के लिए लागू परिसमाप्ति क्षति (एलडी) अधिकतम तीन गुना वार्षिक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क के बराबर होगा, जो ऐसे मामलों में विस्तारित अवधि के अनुपात में होंगे (तटीय ब्लॉकों के लिए छह माह की आधार अवधि तथा अपतटीय ब्लॉकों के लिए बारह माह)। दूसरे शब्दों में, विस्तार के लिए देय एलडी उपरोक्त पैमाने के अनुसार लागू आधार अवधि के संबंध में मांगी गई विस्तार अवधि के अनुपात में होगी।

ग) यदि ठेकेदार डीओसी जमा करने के लिए समय अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध करता है, और बाद में एफडीपी जल्दी जमा करता है, तो डीओसी के लिए बढ़ाई गई अवधि को एफडीपी प्रस्तुत करने में बचाए गए समय और ठेकेदार द्वारा समय बढ़ाने के लिए मांगी गई अवधि की तुलना में घटा दिया जाएगा। एलडी की कम की गई इस राशि को ठेकेदार द्वारा बाद की अवधि में केंद्र सरकार को देय बकाया राशि में से ठेकेदार द्वारा समायोजित किया जा सकता है।

घ) समूह द्वारा खोज की गई मामले में, यदि पिछली खोज व्यवहार्य नहीं है, लेकिन बाद की खोजों के साथ व्यावहारिक बन जाती है, तो डीओसी जमा करने और एफडीपी प्रस्तुत करने की मूल्यांकन अवधि की समय-सीमा की गणना अन्वेषण अवधि के दौरान की गई अंतिम खोज से की

जाएगी।

1.2 ये प्रावधान सभी मौजूदा और भावी मामलों पर लागू होंगे, लेकिन त्यागे गए क्षेत्रों और पुन: त्यागे गए ब्लॉकों पर लागू नहीं होंगे।

2. हाइड्रोकार्बन की खोज के संबंध में एफडीपी प्रस्तुत करने की समय अवधि बढ़ाना:

2.1 एमसी द्वारा डीओसी की समीक्षा के बाद, ठेकेदार को प्रबंधन समिति में एफडीपी जमा करना होगा। तेल और संबद्ध प्राकृतिक गैस की खोज (एएनजी) के मामले में एफडीपी जमा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा 200 दिन और वाणिज्यिकता की घोषणा की तारीख से गैर-संबद्ध प्राकृतिक गैस (एनएएनजी) की खोज के मामले में एक वर्ष है। डीजीएच को प्रबंधन समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित निर्णय लेने का अधिकार है:

क) एफडीपी जमा करने के लिए अपतटीय ब्लॉकों हेतु तीन माह और अपतटीय ब्लॉकों हेतु छह माह तक का विस्तार प्रदान करना।

ख) अधिकतम तीन गुना के बराबर एलडी, आवेदन के समय अनुबंध क्षेत्र के लिए लागू वार्षिक पीईएल शुल्क, मांगी गई विस्तारित अवधि के लिए यथानुपात (तटीय ब्लॉकों के लिए छह माह और अपतटीय के लिए बारह माह की अवधि) एलडी ऐसे सभी मामलों पर लगाई जाएगी। दूसरे शब्दों में, विस्तार के लिए देय एलडी उपर्युक्त मात्रा के अनुसार लागू आधार अवधि के संबंध में मांगी गई विस्तार अवधि के अनुपात में होगा।

ग) उपर्युक्त विस्तार मूल्यांकन की अवधि के विस्तार के लिए उपरोक्त पैरा 1 में दी गयी विस्तार अवधि के अतिरिक्त होगी और इसके अनुसार वाणिज्यिककरण की घोषणा (डीओसी) की जाएगी।

2.2 यह सभी मौजूदा और भावी मामलों पर लागू होगा, लेकिन त्यागे गए क्षेत्रों और पुन: त्यागे गए ब्लॉकों पर लागू नहीं होगा।

3. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), आरक्षित वन, नौसैनिक अभ्यास क्षेत्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में आने वाले क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, शहरी इलाके, पुलिस / सशस्त्र सेना फायरिंग रेंज, आदि ब्लॉकों के मामले में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) को कम करना:

3.1 छह एजेंसियों से मंजूरी प्राप्त करने के बाद ब्लॉकों का बोली लगाने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। इसके बाद, पूरे ब्लॉक क्षेत्र के लिए पीईएल प्रदान करने के बाद, ठेकेदार को पीएससी के अनुसार एमडब्ल्यूपी को पूरा करना होता है। एमडब्ल्यूपी पूरा करने के लिए, ठेकेदार प्रति वर्ष एमसी की समीक्षा के लिए वार्षिक कार्य कार्यक्रम का प्रस्ताव करता है। कुछ मामलों में, एमडब्ल्यूपी के अनुसार ब्लॉक में भूकंपीय कार्य और अन्वेषण कुओं की ड्रिलिंग करते समय, कुछ

एजेंसियों जैसे रक्षा मंत्रालय (एमओडी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) तथा राज्य सरकार / विभाग, जिन्होंने पहले 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन दिया था, ने पूरे ब्लॉक या इसके कुछ भाग में काम करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यह निर्णय लिया गया है कि जहां सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुमोदन देने से मना करने के कारण अनुबंध क्षेत्र में कमी आई है, वहां डीजीएच को एमसी की सिफारिशों पर एमडब्ल्यूपी की ऐसी आनुपातिक कमी का निम्नानुसार इस्तेमाल करने का अधिकार प्रदान किया गया है:

क) यदि ठेकेदार पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएमएल) प्रदान किए जाने से पहले किसी भी स्तर पर क्षेत्र में कमी करने को स्वीकार नहीं करता है, तो ठेकेदार को अधूरा कार्य कार्यक्रम की लागत के भुगतान के बिना अनुबंध से बाहर निकलने की अनुमति होगी। ऐसे मामलों में, ठेकेदार द्वारा ऐसी कमी करने के लिए प्राप्त सूचना के तीन माह के अंदर त्यागने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

ख) यदि ठेकेदार कम किए गए क्षेत्र में अन्वेषण जारी रखने के लिए सहमत होता है, तो उसे 2डी, 3डी कार्य कार्यक्रम में एमडब्ल्यूपी में आनुपातिक कमी करने और कुओं की ड्रिलिंग के लिए भी न्यूनतम एक संख्या के लिए निकटतम पूर्णांक तक की अनुमति दी जाएगी। ड्रिल किए जाने वाले कुओं का चयन ठेकेदार पर छोड़ दिया जाएगा।

ग) अन्वेषण के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए क्षेत्र ेहेतु पीईएल को रद्द कर दिया जाएगा और भावी वर्षों के लिए पीईएल शुल्क 3(ख) में सभी मामलों में आनुपातिक रूप से घट जाएगा।

घ) यदि ठेकेदार तीन माह के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन बाद में अनुबंध से बाहर निकलने का प्रस्ताव करता है, तो कम क्षेत्र के आनुपातिक अधूरे एमडब्ल्यूपी की लागत की सीमा तक परिसमाप्ति नुकसान के लिए जुर्माना लगाने पर निर्णय लिया गया है। यह सभी मौजूदा पीएससी पर लागू होगा।

ड.) यदि किसी भी ब्लॉक में वैधानिक और अन्य अनुमोदन के अभाव के कारण दो साल से अधिक विलंब होता है, तो ठेकेदार को उपयुरक्त (क) और (ख) के बीच चुनने का विकल्प दिया जाएगा। ऐसे मामलों में इस तरह की कमी/ निकासी के लिए आवेदन अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के समाप्त होने के 3 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3.2 ये प्रावधान मौजूदा मामलों में एक-बारगी उपाय के रूप में भी लागू होंगे, जहां ब्लॉक को दो वर्ष से अधिक (इस नीति की अधिसूचना जारी होने के 3 माह के अंदर) के लिए आज की तारीख तक अनुमोदन नहीं मिला है।

4. 2डी (आयामी) और 3डी भूकंपीय न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की अदला-बदली:

4.1 पीएससी में 3डी सर्वेक्षण कार्यक्रम के साथ एमडीपी के 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण कार्यक्रम की अदला-बदली करने का कोई प्रावधान नहीं है, जो तकनीकी या संभार-तंत्र कारणों और उसके इतर आवश्यक हो सकती है।

4.2 डीजीएच को एक दूसरे के साथ 2डी अधिग्रहण प्रसंस्करण और व्याख्या (एपीआई) डेटा और 3डी एपीआई आंकड़ों की अदला-बदली करने की अनुमति देने का अधिकार है, जहां एमसी की सिफारिशों की उचित जांच के बाद तकनीकी और संभार-तंत्र आधार पर ऐसा करना उचित हो। रूपांतरण का आधार 3डी का 1 वर्ग कि.मी. होगा जो 10 लाइन कि.मी. (किमी) 2डी के बराबर होगा। यह अनिवार्य 2डी भूकंपीय एपीआई को भी कवर करेगा और सभी पीएससी में मौजूदा और सभी भावी मामलों पर लागू होगा। तथापि, जब ठेकेदार ने पूर्ण क्षेत्र 2डी और पूर्ण क्षेत्र 3डी के लिए बोली लगाई है, तो प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. पिछले चरणों की अधूरी एमडब्ल्यूपी की लागत का भुगतान करने के बाद अन्वेषण चरणों में प्रवेश:

5.1 यदि किसी अन्वेषण चरण का प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, तो ठेकेदार को पीएससी के अनुच्छेद 5.7 के अनुसार सरकार को अधूरे कार्य कार्यक्रम की लागत का भुगतान करना होगा।

5.2 यह निर्णय लिया गया है कि डीजीएच को पीएससी के अनुच्छेद 5.7 के अनुसार अधूरा कार्य कार्यक्रम की लागत के भुगतान का निर्धारण करने का अधिकार है। इस अन्वेषण चरण और ऑपरेटर के लिए न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूरा होने के तौर पर इसकी व्याख्या की जाएगी, तथा उनके अनुरोध पर ऐसे भुगतान के बाद अगले चरण में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

6. अगले चरण में प्रवेश के लिए नोटिस प्रस्तुत करने में विलंब को माफ करना:

6.1 पीएससी के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार, ठेकेदार को अगले चरण में प्रवेश करने के लिए प्रासंगिक चरण की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले सरकार को लिखित नोटिस देने का विकल्प होगा। ऐसा देखा जाता है कि कभी-कभार ऑपरेटर अगले चरण में प्रवेश करने के लिए नोटिस को समय-सीमा समाप्त होने के बाद प्रस्तुत करते हैं।

6.2 डीजीएच को अगले चरण में प्रवेश करने के लिए नोटिस देने के 30 दिनों की अवधि तक विलंब को माफ करने का अधिकार है, जिसके कारणों को दर्ज किया जाता है। हालांकि, ऐसी माफी का अर्थ अन्वेषण चरण का विस्तार, या डीओसी जमा करने की समय-सीमा का विस्तार प्रदान करना नहीं माना जाएगा।

7. वार्षिक कार्य कार्यक्रम और बजट तथा मूल्यांकन कार्य कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत करने में विलंब को माफ करना:

7.1 ठेकेदारों को पीएससी के अनुच्छेद 5.10 के अनुसार प्रत्येक अगले वर्ष के शुरू होने से पहले 90 दिनों के भीतर वार्षिक कार्य कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इसके अलावा, तेल या गैस की खोज के मामले में, ठेकेदारों को पीएससी के अनुच्छेद 10.3 और 21.5.2 के अनुसार तेल और संबंधित गैस की खोज के लिए 120 दिन के अंदर और गैर-संबद्ध प्राकृतिक गैस के मामले में एक वर्ष के अंदर मूल्यांकित कार्य कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत करना होगा। यह देखा गया है कि कभी-कभार ठेकेदार वार्षिक कार्य कार्यक्रम और बजट तथा मूल्यांकन कार्य कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत करने के लिए इन समय-सीमाओं का पालन नहीं कर पाते हैं।

7.2 डीजीएच को वार्षिक कार्य कार्यक्रम और बजट तथा मूल्यांकन कार्य कार्यक्रम एवं बजट प्रस्तुत करने के लिए तीन माह की अवधि तक विलंब माफ करने का अधिकार है। तथापि, ऐसी माफी का अर्थ अन्वेषण चरण का विस्तार, या डीओसी जमा करने की समय-सीमा का विस्तार प्रदान करना नहीं माना जाएगा।

8. वाणिज्यिकता की घोषणा (डीओसी) प्रस्तुत करने के बाद मूल्यांकन कुओं की ड्रिलिंग:

8.1 मूल्यांकन कार्य कार्यक्रम करने के बाद ठेकेदार द्वारा डीओसी प्रस्तुत की जाएगी जिसमें मूल्यांकन के कुओं की ड्रिलिंग शामिल है। वर्तमान में, डीओसी जमा करने के बाद किसी मूल्यांकन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.2 डीजीएच को डीओसी जमा करने के बाद मूल्यांकित कुओं की ड्रिलिंग और अन्य मूल्यांकन गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति देने का अधिकार है, लेकिन ऐसा एमसी की सिफारिशों पर एफडीपी जमा करने से पहले किया जाएगा। डीजीएच विस्तारित मूल्यांकन अवधि के दौरान 2डी भूकंपीय, 3डी भूकंपीय, कूप प्रोत्साहन और परीक्षण आदि जैसी लागत वसूली के आधार पर ऐसी ड्रिलिंग और अन्य मूल्यांकन गतिविधियों को भी अनुमति दे सकता है। तथापि, एफडीपी जमा करने के लिए पीएससी में प्रदान की गई समय-सीमा लागू रहेगी और इस समय-सीमा को ऐसे अतिरिक्त मूल्यांकन कुओं तथा अन्य अतिरिक्त मूल्यांकन गतिविधियों के अनुमोदन के कारण ये समय-सीमाएं बढ़ाई नहीं जाएंगी। ठेकेदार एफडीपी में खोदे गए नए मूल्यांकन कुओं और अन्य मूल्यांकन गतिविधियों के परिणामों को शामिल करेगा। यह मौजूदा पीएससी में की गई सभी खोजों पर लागू होगी, जहां एफडीपी को अभी जमा किया जाना है। जिन खोजों के लिए एफडीपी पहले ही जमा हो चुकी है या एफडीपी जमा करने की पीएससी की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, उनको कवर नहीं किया जाएगा।

9. मूल्यांकन कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जलाशयों की जांच करना:

9.1 वर्तमान में, मूल्यांकन कार्य केवल खोज के जलाशय तक ही सीमित है और ठेकेदारों को खोज क्षेत्र में किसी अतिरिक्त संभावित जलाशयों की जांच करने की अनुमति नहीं है। संभावित खोज क्षेत्र कम या अधिक गहराई वाले क्षेत्रों या बाद में अलग-अलग जलाशयों पर संभावित जलाशयों में मिल सकते हैं। डीजीएच को निम्नलिखित मामलों में प्रबंधन समिति (एमसी) की सिफारिशों पर मूल्यांकन कार्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अतिरिक्त जलाशयों की जांच करने का अधिकार दिया गया है:

(क) एक ही खोज क्षेत्र के भीतर अतिरिक्त जलाशयों की जांच मूल्यांकन कार्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में करने की अनुमति होगी। यदि ऐसी गतिविधियों के लिए प्रबंधन समिति की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है तो इसकी लागत को वसूला जा सकता है।

(ख) ऐसी अतिरिक्त जांच के दौरान यदि कोई नई खोज होती है तो मूल्यांकन अवधि को तटीय ब्लॉकों के लिए 6 माह और अपतटीय ब्लॉकों के लिए 12 माह तक बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि ठेकेदार ने उपर्युक्त पैरा 1 के अंतर्गत विस्तार का लाभ न लिया हो। परिणामस्वरूप, किसी भी मामले में, मूल्यांकित अवधि में कुल विस्तार तटीय ब्लॉकों के लिए 6 माह से अधिक तथा अपतटीय ब्लॉकों के लिए 12 माह से अधिक नहीं होगा।

(ग) यह परिवर्तन पीएससी में मौजूदा और भावी मामलों पर लागू होगा।

10. खोजों को स्वीकृति देना, जिनके लिए अनुच्छेद 10.1 के अनुसार सरकारी अधिसूचना नहीं की गई है और / या पीएससी के अनुच्छेद 10.2 के अनुसार परीक्षण के लिए अधिसूचना जारी नहीं की गई है:

10.1 यह देखा गया है कि परिचालन कारणों के कारण, कभी-कभार ठेकेदार खोज (निर्धारित अवधि के भीतर) को अधिसूचित करने में सक्षम नहीं होते है और कभी-कभी सरकार को पीएससी के अनुच्छेद 10.1 और 10.2 द्वारा अपेक्षित अनुसार उत्पादन जांच करने से पहले सूचित करने में असफल रहते हैं।

10.2 डीजीएच को निम्न के लिए एमसी की सिफारिशें करने का अधिकार दिया गया है:

क) ऐसी खोजों, जिन्हें पीएससी के अनुच्छेद 10.2 में निर्धारित समय-सीमा, अर्थात् उत्पादन परीक्षण से पहले 48 घंटे का नोटिस देकर, का अनुपालन न करने के कारण वैध खोज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, को वैध खोजों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि अन्वेषण अवधि समाप्त न हुई हो और ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर ड्रिल स्टेम टेस्ट या पारंपरिक कुआं प्रवाह परीक्षण किया हो:

i. ठेकेदार ताजा परीक्षण करने के तुरंत बाद अपेक्षित उत्पादन परीक्षण डेटा प्रदान करेगा जिसे पीएससी के प्रावधानों के रूप में देखा जाएगा, बशर्ते कि ताजा परीक्षण करते समय अन्वेषण अवधि समाप्त न हुई हो।

ii. पीएससी में दी गई खोज को अधिसूचित करने में असफल रहने पर दंड के रूप में केवल एक परीक्षण (जिसका भी मूल्य कम हो) की लागत वसूली की अनुमति दी जाएगी। यह दंड केवल तभी लागू होगा यदि ठेकेदार सूचित करने में असफल रहता है अन्यथा दोनों परीक्षणों की लागत वसूली की अनुमति दी जाएगी।

ख) यह पीएससी के मौजूदा और भावी मामलों में सभी खोजों पर लागू होगा।

11. सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस), जो अन्वेषण चरणों की गतिविधियों से संबंधित समय-सीमा में छूट के मामले देखती है, को नीचे उल्लिखित अनुसार उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के कार्यान्वयन में परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान करने का अधिकार दिया गया है:

क. मूल्यांकन से संबंधित पीआरसी में विनिर्दिष्ट समय-सीमा बढ़ाना, वाणिज्यिक की घोषणा प्रस्तुत करना, क्षेत्र विकास योजना प्रस्तुत करना, आदि जिसमें मौजूदा नीतियों के अलावा उपर्युक्त पैरा 1 से 10 में प्रस्तावित नीतियां भी शामिल हैं।

ख. पीएससी और संबंधित सरकारी नीतियों और निर्देशों के प्रावधानों से संबंधित स्पष्टीकरण जारी करना।

अति-तत्काल

ओ-22013/27/2012-ओएनजी-डी-वी
भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 10 नवंबर, 2014

सेवा में

महानिदेशक,
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय,
ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं.2, सेक्टर-73
नोएडा (उ.प्र.)-201301

विषय: हाइड्रोकार्बन खोज के शुरुआती मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के अंतर्गत विकास और उत्पादन चरण में छूट, विस्तार और स्पष्टीकरण के लिए नीतिगत ढांचा।

महोदय,

कृपया हाइड्रोकार्बन खोज के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के अंतर्गत विकास और उत्पादन चरण में छूट, विस्तार और स्पष्टीकरण के लिए अनुमोदित नीतिगत ढांचे की एक प्रति उचित आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

भवदीय,
हस्ता./-
(नलीन कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव (ई-।।)
दूरभाष नं.23386626